Indian Evidence Act, 1872

Level - Moderate

1. Relevancy of facts forming part of same transaction is dealt under which of the following section of the Indian Evidence Act-
   A. Section 4
   B. Section 6
   C. Section 10
   D. Section 8

1. एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के तहत निपटाया जाता है-
   (ए) धारा 4
   (बी) धारा 6
   (सी) धारा 10
   (डी) धारा 8

2. The defence of alibi is best because-
   A. If the accused was not there, when the deceased was murdered, he could not have murdered her.
   B. Once the pleas of alibi is raised, no other defence is open to the prosecution.
   C. It leaves room for no other defence for the accused
   D. None of them

2. ऐलिबी का बचाव सबसे अच्छा है क्योंकि-
   (ए) अगर आरोपी वहां नहीं होता, जब मृतक की हत्या हुई थी, तो वह उसकी हत्या नहीं कर सकता था
   (बी) एक बार ऐलिबी की दलीलें उठाने के बाद अभियोजन के लिए कोई अन्य बचाव खुला नहीं है
   (सी) यह अभियुक्त के लिए किसी अन्य बचाव के लिए जगह नहीं छोड़ता है
   (डी) इनमें से कोई नहीं

3. In which of the following case the court held that "a party who produces witnesses in court produces them as witnesses of truth; and simply because portions of their statements are not favourable to the party producing them, they cannot be condemned as biased witnesses"-
   A. Gyasuddin Khan v. State of Bihar, AIR 2004 SC 201, CrLJ 395.
   B. Lekhraj v. State of Gujarat, AIR 1998 SC 242, CrLJ 396.
   C. Gulabchand Gambhirmal v. Kudilal Govindram, AIR 1959 MP 151, 1961 CrLJ 55 (FB).
   D. Siddiqua v. Narcotics Control Bureau, 2007 CrLJ 1471.

3. निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने माना कि "एक पक्ष जो अदालत में गवाहों को पेश करता है उन्हें सच्चाई के गवाह के रूप में पेश करता है; और सिर्फ इसलिए कि उनके बयानों के हिस्से उन्हें पैदा करने वाले पक्ष के अनुकूल नहीं हैं, उन्हें पक्षपाती गवाह के रूप में निंदा नहीं किया जा सकता है"-
   (ए) गयासुद्दीन खान बनाम बिहार राज्य, AIR 2004 SC 201, CrLJ 395
   (बी) लेखराज बनाम गुजरात राज्य, AIR 1998 SC 242 CrLJ 396
   (सी) गुलाबचंद गणभीरामल बनाम कुडीलाल गोविंदराम, AIR 1959 MP 151, 1961 CrLJ 55 (FB).

(डी) सिद्दीका बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, 2007 CrLJ 1471

4. In which of the following proceeding of domestic tribunals and departmental inquiries, the Indian Evidence Act is not applicable-

A. officers conducting departmental inquiries
B. departmental proceedings
C. disciplinary proceedings tribunal
D. all of them

4. घरेलू न्यायाधिकरणों और विभागीय जांच की निम्नलिखित में से किस कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है-

(ए) विभागीय पूछताछ करने वाले अधिकारी
(बी) विभागीय कार्यवाही
(सी) अनुशासनात्मक कार्यवाही न्यायाधिकरण
(डी) सभी

5. Proviso 1 to Section 33, Indian Evidence Act, not only covers cases of privity in estate and succession of title, but also cases where which of the following condition is met-

A. the interest of the relevant party in the second proceeding is the subject matter of the first proceeding and is consistent with and not antagonistic to the interest therein of the relevant party to the first proceeding
B. the interest of both in the answer to be given to the particular question in issue in the first proceeding is identical
C. either (A) or (B)
D. both (A) and (B)

5. प्रावधान 1 से धारा 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, न केवल संपत्ति में गोपनीयता और शीर्षक का उत्तराधिकार के मामलों को शामिल करता है, लेकिन ऐसे मामले भी जहां निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होती है-

(ए) दूसरी कार्यवाही में संबंधित पक्ष का हित पहली कार्यवाही की विषय वस्तु है और पहली कार्यवाही के लिए संबंधित पक्ष के हित के अनुरूप नहीं है और विरोधी नहीं है
(बी) पहली कार्यवाही में संबंधित विशेष प्रश्न के उत्तर में दोनों की रुचि समान है
(सी) या तो (ए) या (बी)
(डी) दोनों (ए) और (बी)

6. Entry in the Monzawari Register is admissible under-

A. Section 32, Indian Evidence Act
B. Section 35, Indian Evidence Act
C. Section 37, Indian Evidence Act
D. Section 39, Indian Evidence Act

6. मोंज़ावरी रजिस्टर में प्रवेश की अनुमति है-

(ए) धारा 32, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बी) धारा 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(सी) धारा 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(डी) धारा 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

7. Section 132 of the Indian Evidence Act does not apply to a statement made by a person during an investigation under-

A. Section 159 Cr. P.C
B. Section 161 Cr. P.C
C. Section 163 Cr. P.C
D. Section 166 Cr. P.C

www.linkinglaws.com

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 किसी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयान पर लागू नहीं होती है-
(ए) धारा 159 CRPC
(बी) धारा 161 CRPC
(सी) धारा 163 CRPC
(डी) धारा 166 CRPC

8. Section 31, Indian Evidence Act declares-
A. That admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels
B. Unless admissions are contractual or unless they constitute estoppels they are not conclusive, but are open for rebuttal or explanation.
C. either (A) or (B)
D. both (A) and (B)

8. धारा 31, भारतीय साक्ष्य अधिनियम घोषित करता है-
(ए) स्वीकृतियाँ, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे।
(बी) जब तक स्वीकृतियाँ संविदात्मक न हों या जब तक कि वे विबंध के रूप न हों, वे निर्णायक नहीं हैं, लेकिन खुले खंडन या स्पष्टीकरण हैं।
(सी) या तो (ए) या (बी)
(डी) दोनों (ए) और (बी)

9. Section 65, Indian Evidence Act with which of the following situation under which secondary evidence can be given-
A. when the original is shown or appears to be in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved
B. when it is in possession or power of any person who is out of reach, or not subject to the process of the Court
C. when it is in the possession of any person legally bound to produce it, but he fails to produce it after the notice mentioned in Section 66, Indian Evidence Act is given to him
D. all of them

9. धारा 65, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस स्थिति के तहत द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है-
(ए) जब मूल दिखाया जाता है या उस व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के रूप में प्रकट होता है जिसके खिलाफ दस्तावेज साबित करने की मांग की जाती है
(बी) जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हो जो पहुंच से बाहर हो या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन न हो
(सी) जब यह किसी व्यक्ति के कब्जे में हो तो उसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन वह धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद उसे पेश करने में विफल रहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसे दिया जाता है
(डी) सभी

10. Section 15, Indian Evidence Act deals with a particular application of the general principle laid down in-
A. Section 7, Indian Evidence Act
B. Section 10, Indian Evidence Act
C. Section 12, Indian Evidence Act
D. Section 14, Indian Evidence Act

www.linkinglaws.com

10. धारा 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित सिद्धांत सामान्य के एक विशेष आवेदन से संबंधित है-
(ए) धारा 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बी) धारा 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(सी) धारा 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(डी) धारा 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

11. An estate called "the Rampur Tea Estate" is sold by a deed which contains a map of the property sold. Applying Section 92, Indian Evidence Act-
A. the fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed need not be proved
B. the fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed is irrelevant
C. the fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved
D. none of them

11. "रामपुर टी एस्टेट" नामक एक संपत्ति को एक विलेख द्वारा बेचा जाता है जिसमें बेची गई संपत्ति का नक्शा होता है। धारा 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करना-
(ए) तथ्य यह है कि मानचित्र में शामिल नहीं की गई भूमि को हमेशा संपत्ति का हिस्सा माना जाता था और विलेख द्वारा पारित करने के लिए थी साबित करने की आवश्यकता नहीं है
(बी) तथ्य यह है कि नक्शे में शामिल नहीं की गई भूमि को हमेशा संपत्ति का हिस्सा माना जाता था और विलेख द्वारा पारित होने का मतलब अप्रासंगिक है
(सी) तथ्य यह है कि मानचित्र में शामिल नहीं की गई भूमि को हमेशा संपत्ति का हिस्सा माना जाता था और इसे विलेख द्वारा पारित करने के लिए साबित नहीं किया जा सकता था
(डी) इनमें से कोई नहीं

12. Which of the following is the way to assess damage under Section 12, Indian Evidence Act-
I. the damage suffered should be near as possible to the sum which will put the injured party in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he was awarded damages or compensation
II. damages are usually assessed on the basis of actual loss suffered and are called general or ordinary damages
III. where the plaintiff has not suffered any real damages by reason of breach of contract, normally, nominal damages are awarded
IV. special damages can be awarded for personal inconveniences or physical discomfort caused by the other party
A. I, III and IV
B. II, III and IV
C. I, II and IV
D. all of them

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत क्षति का आकलन करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है-

I. जो नुकसान हुआ है वह उस राशि के करीब होना चाहिए जो घायल पार्टी को उसी स्थिति में रखेगी जैसे वह होता अगर वह उस गलत को कायम नहीं रखता जिसके लिए उसे हर्जाना या मुआवजा दिया गया था
II. आम तौर पर नुकसान का आकलन वास्तविक नुकसान के आधार पर किया जाता है और इसे सामान्य या सामान्य क्षति कहा जाता है
III. जहां वादी को अनुबंध के उल्लंघन के कारण कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, सामान्य रूप से, नाममात्र का हर्जाना दिया जाता है
IV. व्यक्तिगत असुविधाओं या दूसरे पक्ष के कारण होने वाली शारीरिक परेशानी के लिए विशेष हर्जाना दिया जा सकता है

(ए) I, III और IV
(बी) II, III और IV
(सी) I, II और IV
(डी) सभी

13. The history sheet of an accused person, kept in the police station is not a man's character, as it is based on-
A. conviction
B. hearsay
C. investigation
D. none of them

13. थाने में रखे आरोपी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट किसी पुरुष का चरित्र नहीं होती है, क्योंकि यह आधारित है-
(ए) दोषसिद्धि
(बी) अनुश्रुत
(सी) अन्वेषण
(डी) इनमें से कोई नहीं

14. The principle on which a dying declaration is admitted in evidence is indicated in legal maxim-
A. nemo moriturus praesumitur mentiri
B. lex fori
C. res judicata
D. none of them

14. जिस सिद्धांत पर मृत्युकालीन घोषणा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे कानूनी कहावत में दर्शाया गया है-
(ए) निमो मोरिटुरस प्रोसुमिटुर मेंटिरी
(बी) लेक्स फोरी
(सी) रेस जुडिका
(डी) इनमें से कोई नहीं

15. The principles of Section 44, Indian Evidence Act cannot be extended to which of the following-
A. misrepresentation or undue influence
B. fraud
C. collusion
D. all of them

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है-
(ए) गलत बयानी या अनुचित प्रभाव
(बी) धोखाधड़ी
(सी) टकराव
(डी) सभी

16. In criminal cases under Section 54, Indian Evidence Act to prove that the defendant committed the crime charged, evidence may not be given that he-
A. has a bad reputation in the community
B. has a disposition to commit crime of that kind

www.linkinglaws.com

C. had no other occasions committed particular acts of the same class evincing such disposition
D. all of them

16. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के तहत आपराधिक मामलों में यह साबित करने के लिए कि प्रतिवादी ने अपराध किया है, सबूत नहीं दिया जा सकता है कि वह-
(ए) समुदाय में एक खराब प्रतिष्ठा थी
(बी) उस प्रकार का अपराध करने का स्वभाव रखता है
(सी) ने किसी अन्य अवसर पर समान वर्ग के विशेष कृत्यों को नहीं किया था जिससे इस तरह के स्वभाव का पता चलता है
(डी) सभी

17. The question is, whether A poisoned B. Applying Section 6, Indian Evidence Act which of the following facts can be relevant-
A. marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed
B. the state of B's health before the symptoms ascribed to poison, and habits of B, known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison
C. the facts that shortly before the poisoning, B went to a fair with money in possession, and that he showed it or mentioned the fact that he had it, to third persons
D. none of them

17. सवाल यह है कि क्या 'ए' ने 'बी' को जहर दिया है। धारा 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रासंगिक हो सकता है-
(ए) उस स्थान पर या उसके आस-पास जहां हत्या की गई थी, संघर्ष द्वारा उत्पन्न जमीन पर निशान
(बी) विष के लक्षणों से पहले 'बी' के स्वास्थ्य की स्थिति, और 'बी' की आदतें, जो 'ए' को ज्ञात थीं, जो जहर के प्रशासन के लिए एक अवसर प्रदान करती थीं
(सी) तथ्य यह है कि विषाक्तता से कुछ समय पहले, 'बी' अपने कब्जे में पैसे के साथ मेले में गया था, और उसने इसे दिखाया या इस तथ्य का उल्लेख किया कि उसके पास यह है, तीसरे व्यक्ति को
(डी) इनमें से कोई नहीं

18. To invoke the doctrine of estoppel which of the following condition must be satisfied-
A. representation by a person to another
B. the other shall have acted upon the said representation
C. such person shall have been detrimental to the interest of the person to whom the representation has been made
D. all of them

18. विबंध के सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करना होगा-
(ए) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रतिनिधित्व
(बी) दूसरे ने उक्त प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई की होगी
(सी) ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के हित के लिए हानिकारक होगा जिसके लिए प्रतिनिधित्व किया गया है
(डी) सभी

www.linkinglaws.com

19. What do you understand by admission of execution-

A. it means only admission of signature
B. it means only valid attestation of the signature by two witnesses as required by law
C. both (A) and (B)
D. none of them

19. निष्पादन की स्वीकृति से आप क्या समझते हैं -

(ए) इसका मतलब केवल हस्ताक्षर की स्वीकृति है
(बी) इसका मतलब कानून द्वारा आवश्यक दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर का केवल वैध सत्यापन है
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) इनमें से कोई नहीं

20. Declaration as to custom are admissible-

A. under section 32(1) of Evidence Act
B. under section 32(2) of Evidence Act
C. under section 32(4) of Evidence Act
D. under section 32(7) of Evidence Act.

20. रूढ़ि के रूप में कथन स्वीकार्य हैं-

(ए) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत
(बी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(2) के तहत
(सी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4) के तहत
(डी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (7) के तहत।

21. What do you understand by libellous character-

A. constituting or containing a libel
B. constituting or containing a praise
C. constituting or containing a commendation
D. none of them

21. अपमानजनक चरित्र से आप क्या समझते हैं-

(ए) एक अपमान का गठन या से युक्त
(बी) एक प्रशंसा का गठन या से युक्त
(सी) एक प्रशस्ति का गठन या से युक्त
(डी) इनमें से कोई नहीं

22. A dying declaration to be admissible-

A. must be made before a Magistrate
B. must be made before the police officer
C. may be made before a doctor or a private person
D. may be made either before a magistrate or a police officer or a doctor or a private person.

22. एक मृत्युकालीन घोषणा का ग्राह्य होना-

(ए) एक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना चाहिए
(बी) पुलिस अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए
(सी) एक डॉक्टर या एक निजी व्यक्ति के सामने किया जा सकता है
(डी) या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या डॉक्टर या निजी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है।

23. Declaration in course of business are admissible-

A. under section 32(1) of Evidence Act
B. under section 32(2) of Evidence Act
C. under section 32(4) of Evidence Act
D. under section 32(7) of Evidence Act.

23. कारोबार के दौरान घोषणा स्वीकार्य हैं-

(ए) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत
(बी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(2) के तहत
(सी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4) के तहत
(डी) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (7) के तहत।

www.linkinglaws.com

24. Under Section 82, Indian Evidence Act the Court must presume-

A. that the seal or stamp or signature is genuine

B. that the person signing the document held the judicial or official character he claims, at the time when he signed-

C. both (A) and (B)

D. none of them

24. धारा 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय को यह मान लेना चाहिए-

(ए) कि मुहर या मोहर या हस्ताक्षर असली है

(बी) दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षर करने के समय, न्यायिक या आधिकारिक चरित्र का दावा करता है

(सी) दोनों (ए) और (बी)

(डी) इनमें से कोई नहीं

25. Under section 32(4) of Evidence Act, the declaration-

A. as to public rights & customs are admissible

B. as to private rights & customs are admissible

C. as to both public and private rights and customs are admissible

D. only as to customs are admissible.

25. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4) के तहत घोषणा-

(ए) लोक अधिकारों और रीति-रिवाजों के अनुसार स्वीकार्य हैं

(बी) निजी अधिकारों और सीमा शुल्क के रूप में स्वीकार्य हैं

(सी) दोनों लोक और निजी अधिकारों और रीति-रिवाजों के रूप में स्वीकार्य हैं

(डी) केवल सीमा शुल्क के रूप में स्वीकार्य हैं।

www.linkinglaws.com